हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 177 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17. में उसके द्वारा (1) श्रीमान् राजाराम आश्रम ट्रस्ट शिकारपुरा को आवंटित जमीन 91.13 बीघा के लीजडीड के संबंध में श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.01.2017 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील लूणी को दूरभाष संदेश की नियमानुसार प्रमाणित प्रति व अन्य 2 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त बिन्दुओं से संबंधित प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदश सुनाया गया।	